Woman held with banned injections

EXPRESS NEWS SERVICE
CHANDIGARH, JUNE 12

CHANDIGARH POLICE arrested a woman under NDPS Act on Tuesday for allegedly possessing 22 banned intoxicant injections.

According to police, the accused has been identified as Geeta, a resident of Sector 38 A, Chandigarh.

As per police, about 9.57 am, they saw the woman, carrying a light-yellow carry bag, coming from T-point Sector 39 towards Zeeri Mandi Chowk. But, on seeing the police party, the woman suddenly stopped, turned back and started walking.

On suspicion, Sub-inspector Sukhjinder Singh, along with some policewomen, apprehended the woman and on checking the carry bag, 22 banned intoxicant injections — 11 of Buprenorphine and 11 Pheniramine — were recovered from her. She could not produced any license or permit for keeping the banned injections.

The Indian EXPRESS
epaper edition

Cops arrest five in Gambling Act

Police arrested five persons while they were gambling at near a park in Sector 47 on Monday. While sifting the suspects, the cops recovered cash of Rs 6,320 from their possession. Police have registered a case under Gambling Act. The men were released on bail.

Two playing satta in police net

Two persons were arrested while playing satta at Manimajra and Kishangarh. Police recovered Rs 2,000 from them. A case has been registered against the suspects under the Gambling Act and the police have started investigation.

9 held for drinking in public place

Police arrested nine persons while they were consuming liquor at public place in the city on Monday night. A total of 8 cases were registered under the Punjab Police Act 2007. The suspects were later given bail.

Times of India Dt: 13/06/2018

ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ

ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋਵਾਲ)- ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ 16 ਸਾਲਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

Ajit Dt: 13/06/2018

हमला करने वाले दो युवक काबू

चंडीगढ़, 12 जून (सुशील): पिकअप गाड़ी में गौमांस होने के शक में धनास में चालक और उसके साथी को पीटने वाले दो युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों की पहचान सैक्टर-46 निवासी शिवम और अंकित के रूप में हुई। सारंगपुर थाना पुलिस ने दोनों को जमानत पर छोड़ दिया। चालक जसबीर ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने नगर निगम से मरे हुआ जानवरों को उठाने का ठेका ले रखा है। मलोया में मरे हुए जानवरों की खाल उतारकर सोमवार शाम कोट बिल्ला जा रहे थे। जब वे धनास के ठेके पर पहुंचे तो पांच कार सवार युवकों ने उस पर और उसके साथी मंदीप पर हमला कर दिया था।

Punjab kesri Dt: 13/06/2018

धर्म, समाज और संस्था कार्यक्रम की कवरेज के लिए
9888027501 पर वॉट्सएप करें।
neena.sharma@dbcorp.in पर मेल करें।

जरूरतमंद परिवारों को न्यू किरण सोशल वेलफेयर सोसायटी ने दिए गैस कनेक्शन

चंडीगढ़ | न्यू किरण सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से सेक्टर-38 वेस्ट ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में समाज सेवा के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोसायटी की मेंबर सोनिया दुग्गल ने बताया कि इस मौके पर आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद चार परिवारों को एलपीजी गैस के कनेक्शन दिलवाए गए। संतोष शर्मा ने सोशल वेलफेयर बोर्ड की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी।

Dainik Bhaskar Dt: 13/06/2018

भाजपा की रैली में नहीं पहने थे हेलमेट, 19 का चालान

जासं, चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चार साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से निकाली बाइक रैली भाजपा कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ रही है। रैली के दौरान बाइक और कार सवारों द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ा गया था। अब ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को ट्रैफिक वॉयलेशन इंफोर्मेशन स्लिपचालान भेजा हैं। उल्लेखनीय है कि नौ जून को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से भाजपा शासित केंद्र सरकार के चार साल पूरा करने पर सेक्टर-22 स्थित भाजपा कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई थी। रैली सेक्टर-35 से सेक्टर-22 होते हुए सेक्टर-17 तक पहुंची थी। इस दौरान रैली में बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, कार में ओवरलोड कार्यकर्ताओं द्वारा हुड़दंग किया जा रहा था, वहीं ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रहीं थीं।

भाजपा की रैली में उड़ाई थी नियमों की धज्जियां

भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सरेआम उड़ाई गई ट्रैफिक नियमों की धज्जियों का मामला चर्चा में आने के बाद ट्रैफिक पुलिस रूट पर लगे सीसीटीवी चेक करवा रही हैं। वाहन चालकों की पहचान होने पर उन्हें चालान इश्यू किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अभी भी सीसीटीवी चेक कर रैली में शामिल गाडी नंबरों की पहचान कर रही है। नियम तोड़ने वालों की पहचान होने पर चालान इश्यू किया जाएगा।

Dainik Jagran Dt: 13/06/2018

फर्जी स्ट्रीट वैंडर लाइसैंस देने वाला गिरफ्तार

खुद को बताता था नगर निगम का इंस्पैक्टर

चंडीगढ़, 12 जून (संदीप): खुद को नगर निगम का इंस्पैक्टर बताकर सैक्टर-30 में रहने वाले बुजुर्ग कुलदीप सिंह से 3250 रुपए लेकर उसे फर्जी स्ट्रीट वैंडर लाइसैंस देने के मामले में इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने हल्लोमाजरा निवासी अजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अजीत को जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान इस बात का पता लगाएगी कि आरोपी इस तरह से झांसा देकर अभी तक और कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। पुलिस को दी शिकायत में कुलदीप सिंह (78) ने बताया था कि वह सैक्टर-29 में मुंगफली की फड़ी लगाता था। उसकी मुलाकात अजीत सिंह से हुई। अजीत ने कुलदीप को बताया कि वह नगर निगम कार्यालय में बतौर इंस्पैक्टर तैनात है और वह उसका स्ट्रीट वैंडर लाइसैंस बनावा देगा। लाइसैंस बन जाने के बाद वह आराम से किसी भी सामान की रेहड़ी-फड़ी लगा सकेगा। लाइसैंस बनवाने के ऐवज में अजीत ने कुलदीप से 3500 रुपए मांगे थे। कुलदीप ने उसे 2 हजार रुपए देते हुए लाइसैंस बनवाने के लिए कहा। इसके बाद उसने कुलदीप को एक कम्प्यूटराइज्ड पर्ची देकर कहा कि उसका स्ट्रीट वैंडर लाइसैंस बन चुका है। इसके बाद उसने कुलदीप से 1250 रुपए और ले लिए। जब कुलदीप ने इस लाइसैंस के बारे में किसी व्यक्ति से पड़ताल की तो उसे पता चला कि यह स्ट्रीट वैंडर लाइसैंस नहीं है। इसके बाद सोमवार को अजीत जब वहां किसी अन्य व्यक्ति को अपना शिकार बनाने के मकसद से पहुंचा तो कुलदीप और आसपास के लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कुलदीप की शिकायत पर जांच करने के बाद पाया कि आरोपी अजीत नगर निगम का इंस्पैक्टर नहीं है, बल्कि वह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था।

Punjab kesri Dt: 13/06/2018

जुआ खेलते 6 को पुलिस ने दबोचा

चंडीगढ़, 12 जून (सुशील):

पुलिस ने अलग-अलग सैक्टरों में छापेमारी कर जुआ खेलते हुए छह लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सैक्टर-47 निवासी जसवंत, सुभाष चंद्र, हेमराज, रामदरबार निवासी शेरा, न्यू इंदिरा कालोनी निवासी रामदास और किशनगढ़ निवासी प्रवीण कुमार के रूप में हुई। पुलिस को इनके पास आठ हजार 545 रुपए बरामद हुए हैं। सैक्टर-31 थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सैक्टर-47 के पार्क में चार लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने पार्क में जाकर जुआ खेल रहे जसवंत, सुभाष चंद्र, हेम राज और शेरा को दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से छह हजार 320 रुपए बरामद किए। वहीं, आई.टी.पार्क थाना पुलिस ने किशनगढ़ के स्कूल के पास प्रवीण कुमार और न्यू इंदिरा कालोनी के खेड़ा मंदिर के पास रामदास को जुआ खेलते हुए पकड़ा। पुलिस ने प्रवीण कुमार के पास से 1255 और रामदास के पास से 970 रुपए बरामद किए।

Punjab kesri Dt: 13/06/2018

Man held for posing as MC inspector

CHANDIGARH, JUNE 12

A Hallo Majra resident, who posed as a Municipal Corporation Inspector, was arrested for duping a man of ₹2,000 for providing a street vendor licence in Chandigarh.

According to the police, complainant Kuldeep Singh of Sector 30 alleged Ajit Singh approached him as MC Inspector. The accused assured the complainant that he would provide him street vendor license. The complainant paid ₹2,000 to the accused who in return gave a computerised copy of the license. The complainant later checked the license and found fake.— TNS

CHANDIGAR